**भारत सरकार**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**

**लोकसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1310**

**(सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)**

**मुंबई में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय**

1310. **श्री संजय दिना पाटीलः**

**क्या कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

**(**क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुंबई मुख्यालय वाली कंपनियों द्वारा किए गए कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी व्यय का कोई आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

**(**ख) मुंबई महानगर क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य, सरकारी विद्यालयों, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए आवंटित और उपयोग की गई सीएसआर निधियों का ब्यौरा क्या है;

**(**ग) क्या सरकार ने मुंबई के विभिन्न नगर निगम वार्डों, विशेषकर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में, सीएसआर निवेश में किसी तरह का असंतुलन पाया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

**(**घ) क्या सरकार का विचार मुंबई में सीएसआर परियोजनाओं के समान वितरण, पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों, स्थानीय निकायों और कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय हेतु कोई तंत्र स्थापित करने का है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यारा क्या है**?**

**उत्तर**

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।**

**(श्री हर्ष मल्होत्रा)**

(क): जी, नहीं।

(ख) एवं (ग): सीएसआर के विधिक ढाँचे में सीएसआर निधियों के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है तथा मंत्रालय महानगरीय क्षेत्र-वार सीएसआर संबंधी आँकड़े केंद्रीय स्तर पर नहीं रखता है। एमसीए-21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, महाराष्ट्र में विगत वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2022-23 से 2024-25 तक, विकास क्षेत्र-वार तथा जिला-वार सीएसआर व्यय का विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-I** तथा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है तथा कंपनी का बोर्ड, अपनी सीएसआर समिति की संस्तुतियों के आधार पर, अधिनियम की अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों अथवा विषयों में कंपनी द्वारा किए जाने वाले सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका क्रियान्वयन करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए सशक्त है। अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के प्रथम परंतुक में यह उपबंध किया गया है कि कंपनी उस स्थानीय क्षेत्र तथा उसके आसपास के उन क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी, जहाँ वह अपना संचालन करती है। तथापि, स्थानीय क्षेत्र को प्राथमिकता देने का यह उपबंध केवल निदेशात्मक है, अनिवार्य नहीं। सरकार, निगमित निकायों को किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा किसी विशिष्ट कार्यकलाप पर व्यय करने के संबंध में कोई निदेश जारी नहीं करती है।

(घ): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****

**अनुनग्नक- I**

दिनांक 27.07.2026 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1310 के भाग (ख) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक महाराष्ट्र में विकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | विकास क्षेत्र | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कृषि वानिकी | 5.84 | 13.64 | 10.34 |
| 2. | पशु कल्याण | 74.06 | 99.03 | 91.15 |
| 3. | सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएँ/ आश्रित | 8.13 | 5.87 | 16.27 |
| 4. | कला और संस्कृति | 64.55 | 93.49 | 114.54 |
| 5. | प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | 77.57 | 92.97 | 94.81 |
| 6. | शिक्षा | 1,734.88 | 2,358.27 | 4,051.66 |
| 7. | पर्यावरणीय स्थिरता | 308.92 | 346.85 | 405.82 |
| 8. | लैंगिक समानता | 34.15 | 31.17 | 39.72 |
| 9. | स्वास्थ्य देखभाल | 2,104.01 | 1,858.30 | 2,030.19 |
| 10. | आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ | 354.67 | 314.30 | 268.51 |
| 11. | गरीबी, भूखमरी अन्मूलन, कुपोषण | 205.32 | 207.66 | 253.86 |
| 12. | ग्रामीण विकास परियोजनाएँ | 230.27 | 211.57 | 295.44 |
| 13. | सुरक्षित पेयजल | 25.81 | 35.72 | 49.09 |
| 14. | स्वच्छता | 39.09 | 63.82 | 51.07 |
| 15. | वरिष्ठ नागरिक कल्याण | 25.90 | 23.32 | 37.13 |
| 16. | महिलाओं के लिए घर और छात्रावास बनाना | 8.56 | 5.48 | 10.95 |
| 17. | अनाथालय की स्थापना | 12.10 | 9.78 | 21.01 |
| 18. | स्लम क्षेत्र विकास | 5.37 | 3.16 | 3.54 |
| 19. | सामाजिक-आर्थिक समानताएँ | 32.62 | 66.63 | 43.93 |
| 20. | विशेष शिक्षा | 68.21 | 76.41 | 106.30 |
| 21. | प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर | 0.06 | 0.17 | - |
| 22. | खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण | 72.58 | 83.29 | 137.18 |
| 23. | व्यावसायिक कौशल | 152.45 | 199.68 | 411.08 |
| 24. | महिला सशक्तिकरण | 78.15 | 71.77 | 87.23 |
| 25. | एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया* | 0.02 | 11.60 | - |
| | कुल | 5,723.29 | 6,283.97 | 8,630.80 |

(31.3.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए है या एक से ज़्यादा क्षेत्र इंगित जहां परियोजना चलाई गई थी।

*****

अनुलग्नक- II

दिनांक 27.07.2026 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1310 भाग (ख) से संदर्भित

वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक महाराष्ट्र में जिलेवार सीएसआर व्यय

**(राशि करोड़ रुपये में)**

| क्र.सं. | जिले | वित्तीय वर्ष 2022-23 | वित्तीय वर्ष 2023-24 | वित्तीय वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | अहिल्यानगर | 52.26 | 68.74 | 149.51 |
| 2. | अकोला | 2.59 | 2.57 | 14.43 |
| 3. | अमरावती | 20.89 | 15.61 | 31.29 |
| 4. | बीड | 16.21 | 17.29 | 31.41 |
| 5. | भंडारा | 5.05 | 5.09 | 9.89 |
| 6. | बुलढाना | 3.37 | 9.39 | 13.60 |
| 7. | चंद्रपुर | 34.85 | 29.42 | 73.15 |
| 8. | छत्रपति संभाजीनगर | 129.87 | 134.35 | 186.90 |
| 9. | धाराशिव | 26.19 | 33.81 | 38.40 |
| 10. | धुले | 10.64 | 14.91 | 23.48 |
| 11. | गडचिरोली | 14.55 | 70.81 | 62.55 |
| 12. | गोंदिया | 0.41 | 8.60 | 8.27 |
| 13. | हिंगोली | 2.31 | 5.34 | 4.85 |
| 14. | जलगांव | 27.59 | 28.15 | 22.54 |
| 15. | जलना | 21.43 | 20.25 | 13.49 |
| 16. | कोल्हापुर | 17.87 | 33.38 | 59.14 |
| 17. | लातूर | 18.69 | 22.25 | 24.16 |
| 18. | मुंबई | 2,865.34 | 2,908.85 | 4,436.56 |
| 19. | मुंबई उपनगरीय | 5.73 | 2.29 | 0.10 |
| 20. | नागपुर | 174.51 | 167.04 | 255.32 |
| 21. | नांदेड़ | 8.15 | 10.11 | 11.69 |
| 22. | नंदुरबार | 30.37 | 37.29 | 35.79 |
| 23. | नासिक | 130.77 | 133.83 | 226.64 |
| 24. | पलघर | 5.10 | 5.86 | 2.23 |
| 25. | परभनी | 3.64 | 3.52 | 20.95 |
| 26. | पुणे | 1,099.18 | 1,188.89 | 1,871.18 |
| 27. | रायगढ़ | 326.56 | 245.49 | 245.60 |
| 28. | रत्नागिरि | 44.66 | 71.03 | 55.42 |
| 29. | सांगली | 18.06 | 14.21 | 44.14 |
| 30. | सतारा | 67.71 | 70.69 | 75.04 |
| 31. | सिंधुदुर्ग | 6.37 | 6.07 | 9.01 |
| 32. | सोलापुर | 26.83 | 58.06 | 56.76 |
| 33. | ठाणे | 214.19 | 309.46 | 393.49 |
| 34. | वर्धा | 24.03 | 23.69 | 27.11 |
| 35. | वाशिम | 5.00 | 1.87 | 6.42 |
| 36. | यवतमाल | 9.59 | 13.01 | 22.42 |
| 37. | जिला जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है | 252.73 | 492.75 | 67.87 |
| | कुल | 5,723.29 | 6,283.97 | 8,630.80 |

(31.3.2026 तक के अपडेटेड आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*****